अप्रैल, 2022

हिमाचल शूरवीर हितैषी

निदेशक :

सैनिक कल्याण विभाग

हिमाचल प्रदेश सरकार

पिन–177001

नोट

इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री केवल पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को जागरुक करने के लिए है। उचित प्राधिकार एवम् प्रक्रिया सम्बन्धित जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

हिमाचल शूरवीर हितैषी

हिमाचल प्रदेश राज्य सैनिक कल्याण विभाग की

त्रैमासिक पत्रिका

Chief Editor & Publisher
Brig MS Sharma (Retd)
Director

संदेश

1. पूर्व सैनिकों के लिये हिमाचल सरकार द्वारा सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, रजिस्ट्रेशन (सैल नं०), साक्षात्कार, पेनल इत्यादि का ब्यौरा सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट http://swd.hp.gov.in में दिया जाता है। परन्तु यह देखने में आया है कि ज्यादातर पूर्व सैनिक इस वेबसाइट के बारे में अनभिज्ञ हैं, जिसके कारण न ही पूर्व सैनिक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ले पाते हैं और न ही रोजगार से सम्बंधित सही जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व सैनिक सेना सेवा के उपरान्त रोजगार कार्यालय में इन्डैक्स कार्ड (Index Card) में अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सही तीन पोस्टों का नाम और एन०सी०ओ० नहीं भरते हैं, जिसके कारण उनको रोजगार प्राप्त करने में देरी या कठिनाई होती है ।

2. मैं पूर्व सैनिकों से अनुरोध करता हूँ वे सेना सेवा के उपरान्त अपने रोजगार कार्यालय में अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सही पोस्ट का नाम और एन0सी0ओ0 कोड भरें ताकि रोजगार प्राप्त करने में कोई देरी या कठिनाई नहीं हो और नियमित रुप से हमारी वेबसाइट पर कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार से सम्बंधित रजिस्ट्रेशन नं0 (सैल नं0), साक्षात्कार, पेनल इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें ।

जय हिन्द।

आपका सेवक,

(ब्रिगेडियर एम०एस० शर्मा (सेवानिवृत)
निदेशक
सैनिक कल्याण, हि०प्र०
फोन : 01972–221854
वेबसाइट : http://swd.hp.gov.in

विभागीय कार्यकलाप/गतिविधियां

टोल फ्री नंबर और वेबसाइट

पूर्व सैनिक, सैनिक विधवाएं व उनके आश्रित नौकरी व पेंशन से सम्बंधित, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिये टोल फ्री नं0 01972-220221 पर सम्पर्क कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार से सम्बंधित जानकारी वेबसाइट http://swd.hp.gov.in पर दी गई है ।

पुनर्रोजगार

पूर्व सैनिकों की पुनर्स्थापना एवं पुनर्रोजगार हिमाचल प्रदेश सरकार के लिये सदैव ही प्राथमिकता का विषय रहा है। प्रदेश के विभिन्न विभागों से पूर्व सैनिकों के पदों की मांग पर समय–समय पर साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है । 17 जनवरी 2022 से 27 जनवरी 2022 तक सभी तकनीकी ट्रेड(Technical Trades), 21 से 28 फरवरी 2022 तक पुलिस कांस्टेबल (Police Constable), ड्राइवर (Police Driver), बैंडजमैन (Bandsman) और 02 मार्च से 31 मार्च तक जे0बी0टी0 (JBT), शास्त्री (Shastri), स्टाफ नर्स (Staff Nurse), आयुर्वेद और एलोपैथी फार्मासिस्ट (Pharmacist Ayurved and Allopathy), टी0जी0टी0 (कला, मेडिकल और नॉन मेडिकल) (TGT Arts, Medical and Non Medical), कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर (Community Health Officer), ड्राईंग मास्टर (Drawing Master), भाषा अध्यापक (LT), पी0जी0टी0 (सभी विषय) (PGT All Subjects), बस ड्राइवर (Bus Driver), कंडक्टर (Conductor), कनिष्ठ ड्राफटमेन (इलेक्ट्रिक और सिविल) (Junior Draughtman Elect and Civil) का आयोजन किया गया ।

01 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक विभिन्न श्रेणियों में पूर्व सैनिकों के मनोनयन का ब्यौरा इस प्रकार से है :–

Sr No	Name of Designation	Total Nos
1.	Clerk	04
2.	JOA(IT)	26
3.	Store Keeper	05
4.	PET	12
5.	Lecturer (School – New) (Commerce, History, Pol Science and Hindi)	11
6.	Driver	01
7.	Driver (Daily Wages)	19
8.	Junior Technician Fitter	05
9.	JAO Accounts	11

Sr No	Name of Designation	Total Nos
10.	Drawing Master	08
11.	Asst. Supdt Jail	01
12.	Asst. Chemist	05
13.	Forest Guard	41
14.	Lineman	01
15.	Junior Draughtsman (Civil)	01
Total		151

अनुग्रहपूर्वक अनुदानः युद्ध में शहीद हुए सैनिकों, अपंग हुए सैनिकों व अन्य कारणों से स्वर्गवास होने वाले सेवारत सैनिकों व अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के निकटतम सम्बंधी को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाता है। 01 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों, अपंग हुए सैनिकों व अन्य कारणों से मरने वाले कुल 06 सैनिकों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान 75,00,000/– रूपये की राशि प्रदान की गई।

वीरता पुरस्कार विजेता अनुदान : 01 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 09 नये वीरता पुरस्कार विजेताओं को 2,60,053/–रुपये की मौद्रिक अनुदान की राशि प्रदान की गई ।

निःशुल्क बस यात्रा : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कुल 1367 वीरता पुरस्कार विजेताओं तथा उनकी विधवाओं और युद्ध विधवाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2021–22 में अभी तक 46 नये बस पास प्रदान किये गये है।

साक्षात्कार सम्बंधित सूचना

1. हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष, हमीरपुर में निम्नलिखित पदों के लिये साक्षात्कार का आयोजन किया जायेगा :–

Ser No	Dist.	Post Name	Category and Vacancaies	Called Registered Upto	Date of Interview
(a)	All Dists	TGT (Arts, Medical & Non Medical), JBT, LT, DM & Shastri	Gen, OBC, SC & ST (Vac-145)	Upto 31 May 2022	02 July 2022
(b)	All Dists	PGT (All Subjects), Pharmacist, Lab Asst, Nursing Asst, Draughtsman and PET	Gen, OBC, SC & ST (Vac-46)	-do-	04 July 2022

2. पात्र पूर्व सैनिक निर्धारित तिथि व समय पर मूल दस्तावेजों के साथ पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर में उपस्थित हो जायें ।

वर्ष 2021–22 में उपलब्धियाँ

1. वर्ष 2021–22 मे 540 पूर्व सैनिकों को श्रेणी 3 व 4 के पदों पर विभिन्न विभागों की मांग अनुसार पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष द्वारा रोजगार हेतू नामांकन ।

2. नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों / उनकी विधवाओं को प्रति लाभार्थी 3,000 / – रुपये प्रतिमाह की दर से व द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को वर्ष 2021–22 में मुबलिक 6,20,00,000 / – रुपये की आर्थिक सहायता सहायता प्रदान की गई ।

3. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में युद्ध जागीरों के बदले 7,000 / – रुपये वार्षिक अनुदान की दर से कुल 285 लाभार्थियों को 20,71,588 / – रुपये की राशि वितरित की गई ।

4. राज्य सरकार द्वारा वीरता पुरस्कार व युद्ध विधवाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की डीलक्स और साधारण बसों में राज्य के अन्दर निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में कुल 26 शौर्य पुरस्कार विजेताओं व 20 युद्ध विधवाओं को यह सुविधा प्रदान की गई । प्रदेश में कुल 1367 शौर्य पुरस्कार विजेताओं व युद्ध विधवाओं को यह सुविधा प्रदान की जा रही है ।

5. सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत सैनिकों की आकस्मिक मृत्यु पर उनके 18 परिजनों को प्रति लाभार्थी 15,000 / – रुपये की दर से मुबलिक 2,70,000 / –रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता ।

6. शौर्य पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार नकद इनाम, वार्षिकी व भूमि के एवज में अनुदान देती है । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में कुल 951 शौर्य पुरस्कार विजेताओं को 2.50 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई ।

7. क्वीन मैरी तकनीकी स्कूल, किरकी स्थित पुणे तथा पैराप्लैजिक पुनर्वास केन्द्र मोहाली में प्रशिक्षणरत हिमाचल प्रदेश के विकलांग पूर्व सैनिकों की देखरेख के लिये वर्ष 2021–22 में हिमाचल प्रदेश के 07 विकलांग पूर्व सैनिकों हेतू कुल 7,00,000 / – रुपये की सहायता राशि वितरित की गई ।

8. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध में मारे गए व अपंग हुये सशस्त्र सेना कर्मियों, अर्द्धसैनिक बलों व सेना सुरक्षा कोर के सदस्यों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाता है । वर्ष 2021–22 में कुल 68 परिजनों को 5,20,00,000 / – रुपये की राशि वितरित की गई ।

10. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितो को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में निम्नलिखित आवेदन विभाग द्वारा संस्तुति उपरान्त केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतू भेजे गए :–

क्र0 स0	योजना	कुल स्वीकृत आवेदन
(क)	हवलदार / समकक्ष या उससे नीचे के रैंक के पूर्व सैनिक के दो बच्चों को कक्षा एक से बी0ए0 तक की शिक्षा हेतू आर्थिक सहायता	2168
(ख)	हवलदार / समकक्ष या उससे नीचे के रैंक के पूर्व सैनिकों की बेटी की शादी हेतू आर्थिक सहायता	401
(ग)	प्रधानमन्त्री छात्रवृत्ति योजना	240
(घ)	100 प्रतिशत अपंग सैनिक के लिये आर्थिक सहायता	09

11. प्रदेश व केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के कल्याण हेतू चलाई जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हेतू विभाग द्वारा निम्न माध्यम अपनाए गए हैं :–

(क) शूरवीर हितैषी त्रैमासिक विभागीय पत्रिका ।

(ख) विभागीय वैबसाइट (http://swd.hp.gov.in) तथा विभिन्न समाचार पत्र ।

(ग) विभागीय पत्रिका मार्गदर्शिका ।

(घ) प्रदेश व केन्द्र सरकार की योजनाओं की विवरणिका ।

(ङ) प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पूर्व सैनिक सम्मेलनों का आयोजन ।

केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाऐं

CUT OFF DATE FOR RMEWF ONLINE APPLICATIONS ON KSB WEBSITE WWW.KSB.GOV.IN FOR FY 2022-23

Ser No	Grant	2022-23	
		Application FY/Applicable Date of Scheme/Academic Year/ Conditions/Terms of Reference	Last Date of Uploading by ESM for F.Y. 2022 -23
1.	Penury Grant(Initial)	FY-2022-23	01 Apr 2022 to 31 Mar 2023
2.	Renewal of Penury	FY - 2022-2023	Between 01 Dec 2022 to 31 Mar 23
3.	Marriage	Date of Marriage	Will not be accepted beyond 180 days from the date of solemanization of marriage
4.	Education	AY 202 1-22 (aa) Class 1st to 9th and 11th (ab) Class 10th & 12th (ac) Under graduation classes	 30 Sep 2022 31 Oct 2022 30 Nov 2022
5.	Medical	Date of discharge from hospital or date of last prescription	Not to be accepteted after 180 days from discharge from hospital or date of last prescription
6.	100% Disabled Child (Initial)	-	No time limit
7.	Renewal of 100% Disabled Child	FY 2022-23	Between 01 Dec 2022 to 31Mar 2023
8.	Orphan (Initial)	Date of death of last alive parent	No time limit
9.	Renewal of Orphan	FY 2022-23	Between 01 Dec 2022 to 31 Mar 23
10.	Vocational Training	Date of completion of vocational training	Not to be accepted after 180 days from completion of course
11.	Mobility Equipment	-	No time limit
12.	Serious Diseases	Date of discharge from hospital or date of last prescription	No to be accepted after 180 days from date of discharge from hospital or date of last prescription
13.	Subsidy on home loan	Date of sanction of loan by bank	Not to be accepted after 180 days from loan sanction date for initial sanction.
14.	Prime Minister Scholarship Scheme (PMSS) (Fresh application)	-	01 Sep to 31 Dec 2022 (May be extended by KSB)

COMMON MISTAKES NOTICED BY KSB IN CLAIMS DURING FY 2021-22

1. **Observations in processing claims to KSB which need to be checked**

   (a) Service number and name of ESM not matching with discharge book

   (b) Name of widow applicant not matching with discharge book

   (c) Name of ward not matching with either discharge book or mark sheet or other scheme specific supported documents uploaded.

   (d) Spelling of name not matching in online form from discharge book, bank account and aadhar card.

   (e) Time line as specified for each scheme to claim before cut off date not adhered to by ESM while uploading.

2. **Education Grant**. Marksheet in Education Grant uploaded had undermentioned inconsistencies :-

   (a) Not signed by school authorities and not bearing their round stamps or seal.
   (b) Name of ward not matching.
   (c) Marksheet of AY 2021-22 or previous year uploaded.
   (d) Marksheet does not categorically mention child having passed.

3. **Education and Marriage Grant.** Claimed for one child and names of two children entered or vice versa in case of Education Grant and Marriage Grant.

4. **Penury Grant (Initial)**.

   (a) Already sanctioned cases applying again.
   (b) Applicant ESM not above 65 years on 01 Apr of F.Y. in which applying.
   (c) Widow applicant not filling date of death of her husband in the relevant box.
   (d) Widow applying as ESM with date of death filled in relevant box.
   (e) Penury grant applicant in current FY also applying for Penury Renewal in the same FY.

5. **Penury Renewal/Orphan Renewal//100% Disable Child Renewal**.

(a) Life certificates being forwarded to KSB through dak after uploading the same online.

(b) Life certificate being forwarded to KSB instead of uploading the same online.

(c) Life certificates not uploaded online within prescribed period ie 01 Dec to 01 Mar of current FY.

(d) Life certificate to be signed between 01 Dec to 01 Mar of current FY.

6. **All Schemes Where Bills are Uploaded**.

(a) Original bills to be retained by ZSBs and receipt to be given to ESMs, while recommending applications. Record of all receipts and return of supporting documents with ESMs to be maintained by all ZSBs. After payments are made by KSB, bills to be returned to applicant duly endorsed by drawing lines as under :-

PAID BY KSB

(b) Amount claimed and recommended to be endorsed by User and Admin at all levels.

हेल्पलाइन नम्बर

सेना वायु रक्षा के पूर्व सैनिक या उनके वार्ड पैन्शन या सेना से सम्बंधित शिकायतों के बारे में सेना वायु रक्षा अभिलेख द्वारा जारी हेल्पलाइन नं0 9437584483 पर सम्पर्क कर सकते हैं ।

प्राधिकार : सेना वायु रक्षा अभिलेख पत्र संख्या ऐऐडी / 651 / जन / 01 / पूर्व सैनिक सैल दिनांक 02 दिसम्बर 2021.

स्टेशन मुख्यालयों द्वारा जारी पूर्व सैनिक हेल्पलाइन नम्बर

पूर्व सैनिक अपनी शिकायतों के सम्बंध में निम्न स्टेशन मुख्यालयों द्वारा जारी पूर्व सैनिक हेल्पलाइन नं0 पर सम्पर्क कर सकते हैं :–

क सं.	स्टेशन मुख्यालय का नाम	पूर्व सैनिक हेल्पलाइन नं0
(क)	स्टेशन मुख्यालय नाहन	9420403289
(ख)	स्टेशन मुख्यालय शिमला	9418058327
(ग)	स्टेशन मुख्यालय सोलन	8899469162
(घ)	स्टेशन मुख्यालय जालंधर	9587886780
(ङ)	स्टेशन मुख्यालय हमीरपुर	8437701487
(च)	स्टेशन मुख्यालय पठानकोट	9478931332

ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूरा करने के लिये दिशा–निर्देश – 16 केबी/32 केबी कार्ड धारक

1. **16 केबी/32 केबी कार्ड धारक** : पुराने कार्ड धारक पूर्व सैनिक / परिवार पेंशनर का इस श्रेणी में शामिल किया जायेगा । उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध मौजूदा कार्ड धारक के वर्ग में अंतर्गत ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड आवेदन को भरना होगा जैसे कि 16 केबी कार्ड धारक या 32 केबी कार्ड धारक ।16 केबी कार्ड ने नई प्रणाली में काम करना बंद कर दिया है । 32 केबी कार्ड धारकों के लिये नये 64 केबी कार्ड के लिये आवेदन 2020 तक वैकल्पिक था परन्तु अगले आदेशों तक ये 32 केबी कार्ड मान्य है । 16 केबी या 32 केबी स्मार्ड कार्ड के लिये संयुक्त निर्देश नीचे के अनुसार हैं ।

(क)	**पंजीकरण की प्रक्रिया :**	
	(1)	अपना नाम, सेवा संख्या, देश के साथ वैध मोबाइल नंबर (एक बार पासवर्ड प्राप्त करने के लिये), नया पासवर्ड, पासवर्ड पुनःप्राप्ति सुरक्षा प्रश्नों का जवाब दें, कैप्चा और फिर टैब रजिस्टर पर क्लिक करें ।
	(2)	अगले पृष्ठ पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करें ।
	(3)	अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के साथ अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करें ।
	(4)	सफल मोबाइल ओटीपी सत्यापन के बाद पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई है।
	(5)	सफल पंजीकरण के बाद, प्रवेश करने के लिये पहले से ही पंजीकृत पर क्लिक करके ऑनलाइन ईसीएचएस स्मार्ड कार्ड एप्लिकेशन को भरने के लिये पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग कर किसी भी समय प्रवेश कर सकते हैं ।
	(6)	पंजीकरण विवरण केवल 15 दिनों की अवधि के लिये वैध होगा, यदि आवेदन पूरी तरह से भरा नहीं है और स्मार्ड कार्ड के लिये भुगतान नहीं किया गया है तो पिछले पंजीकरण की समय सीमा समाप्त हो जायेगी और एक नई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये ।

(ख)	**आवेदन भरना :**	
	(1)	आवेदन के प्रकार का चयन करे 'Online Application for Old 16 Kb Card Holder' or 'Online Application for for old 32 Kb Card Holder'.
	(2)	प्राथमिक सदस्य का पुराना कार्ड नंबर दर्ज करें ।
	(3)	फोटो टैब पर क्लिक करें और सिविल ड्रेस में अपना हाल का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें ।
	(4)	हस्ताक्षर टैब पर क्लिक करें और अपने हस्ताक्षर की एक तस्वीर अपलोड करें ।
	(5)	अपना सेवा नंबर जांचें, अपना ई–मेल दर्ज करें, यदि हो तो, और अपना नाम जांचें ।
	(6)	अपना विकलांगता विवरण चुनें, यदि कोई हो ।
	(7)	अपना स्थाई राज्य / संघ राज्य क्षेत्र चुनें और फिर अपना आधार संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें ।
	(8)	अपना लिंग, कमीशन / भर्ती की तिथि, सेवानिवृत्ति / रिलीज की तारीख, पेंशन का प्रकार, सेवा का प्रकार, श्रेणी, रैंक, अंतिम युनिट (इकाई) का नाम, पीपीओ नंबर और रिकॉर्ड कार्यालय का चयन करें ।
	(9)	यदि विकलांगता का चयन किया गया था, तो अपनी विकलांगता प्रतिशत दर्ज करें ।
	(10)	पूर्ववर्ती कॉलम में आवश्यकतानुसार विवरण दर्ज करें ।
	(11)	क्षेत्रीय केन्द्र (Regional Centre) का चयन करें, फिर निवास के अपने पते अनुसार उपलब्ध विकल्पों में से पॉलिक्लिनिक चुनें और स्टेशन मुख्यालय स्वतः भरण हो जायेगा ।
	(12)	अपना स्थाई पता दर्ज करें,जिला चुनें, तहसील और पिन कोड दर्ज करें।

(13)	स्थाई पता से अलग अगर आपका वर्तमान पता है तो दर्ज करने के लिये टैब में जायें ।
(14)	आश्रितों को जोड़ने के लिये 'Add Dependent' बटन पर क्लिक करें।
(15)	टैब्स पर क्लिक करके आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप की फोटो और हालिया पासपोर्ट साइज तस्वीर अपलोड करें ।
(16)	आश्रित नाम, निर्भर निर्भरता, यदि कोई हो, आश्रित संबंध, जन्म तिथि, आश्रित वैवाहिक स्थिति, आश्रित मासिक आय, निर्भर मोबाइल नंबर, आश्रित ई–मेल आईडी, आश्रित आधार संख्या, आश्रित लिंग, रक्त समूह, आश्रित पेन नंबर, यदि उपलब्ध है, दवा एलर्जी,यदि ज्ञात हो । प्रत्येक आश्रित के लिये विभिन्न पॉलीक्लिनिक चुनने का विकल्प उपलब्ध होगा । यदि आप अपने आश्रित के लिये विभिन्न पॉलीक्लिनिक चयन करना चाहते हैं तो अपने आश्रित के वर्तमान पते प्रदान करें । फिर क्षेत्रीय केन्द्र, पॉलीक्लिनिक का चयन करें । आश्रितों के लिये कार्ड संबंधित स्टेशन मुख्यालय से एकत्र किये जाने की आवश्यकता होगी, यदि प्राथमिक लाभार्थी से अलग है ।
(17)	श्वेत कार्ड की योग्यता के लिये ड्रॉप डाउन मेनू से पीडब्लूडी अधिनियम 1995 के साथ विकलांग व्यक्ति के अनुसार शारीरिक विकलांगता का चयन करें । प्रारुप के अनुसार सेवा विशेषज्ञ द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
(18)	सभी आश्रितों को जोड़ने के लिये समान प्रकिया का पालन करें । यदि गलती से जोड़ा गया है तो आश्रितों का नाम, फॉर्म जमा करने से पहले हटाया जा सकता है ।
(19)	आवेदन में विवरण सबमिशन से पहले कभी भी संपादित किया जा सकता है । नेटवर्क वेबसाइट की विफलता की स्थिति में अपना डेटा सहेजने के लिये टैब पर 'Temporary Save' टैब पर क्लिक करके अपने आवेदन को सुरक्षित रखें ।
(20)	आवेदन को पूरा करने के बाद टैब 'Download Application Form' पर क्लिक करें । अंतिम प्रस्तुत करने से पहले अपने भरे हुये आवेदन को सही तरीके से जांचने के लिये डाउनलोड किया जायेगा ।

	(21)	सुनिश्चित करें कि आवेदन सही ढंग से भरा गया है, शपथ पत्र के बदले स्व–घोषणा को स्वीकार करने के लिये 'I Agree' बटन को चेक करने के लिये क्लिक करें ।
	(22)	फिर 'Proceed for Payment' टैब पर क्लिक करें, भरे हुये आवेदन की शुद्धता की जांच के लिये एक चेतावनी संदेश आवेदन डाउनलोड करने के लिये प्रर्दिशत किया जायेगा ।
	(23)	किसी भी आश्रित की पात्रता मानदंड में किसी भी तरह की विसंगतियों या किसी भी क्षेत्र को रिक्त छोड़ दिया जाता है तो संबंधित क्षेत्र को लाल रंग में हाइलाइट किया जायेगा । आगे भुगतान करने के लिये और आगे बढ़ने के लिये उसे जांचें और ठीक करें ।
(ग)	**संलग्नक :**	
	(1)	पीपीओ की कॉपी ।
	(2)	पुरानी स्मार्ट कार्ड की प्रतिलिपि ।
	(3)	पूर्व सैनिक की मृत्यु प्रमाण पत्र (केवल पूर्व सैनिक की मृत्यु के मामले में) ।
	(4)	विकलांगता चिकित्सा प्रमाणपत्र (केवल पीडब्ल्यूडी के मामले में) ।
(घ)	**भुगतान :**	
	(1)	आपको ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड के भुगतान के लिये एक नई विंडो पर निर्देशित किया जायेगा । कृपया ध्यान दें कि एक स्मार्ट कार्ड की लागत रु.177/– (सभी करों सहित) प्लस लेनदेन प्रभार अतिरिक्त (जैसा लागू हो) । सभी सदस्यों के लिये कार्ड की अलग आवश्यकता होगी ।
	(2)	भुगतान का मोड चुनें और निर्देशित रुप से आगे बढ़ें ।
	(3)	सफल भुगतान पर भरे हुये आवेदन प्रिंटिंग के लिये व्यक्तिगत लॉगिन के तहत डाउनलोड करने के लिये उपलब्ध होगा । भरे आवेदन को किसी भी कार्यालय में अग्रेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह केवल आवेदक के रिकॉर्ड प्रयोजन के लिये उपलब्ध है ।

(ङ)	**रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा टिप्पणियां :**	
	(1)	अभिलेख कार्यालय द्वारा उठाए गए किसी भी अवलोकन के मामले में रिकॉर्ड कार्यालय की टिप्पणियों को सुधार के लिये आपके पास वापस कर दिया जायेगा । आपको रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में एक सूचना एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा ।
	(2)	अभिलेख कार्यालय द्वारा उठाए गए टिप्पणियां आपके लॉगिन में बताई जाएंगी ।
	(3)	स्मार्ड कार्ड आवेदन की अगली प्रसंस्करण के लिए अवलोकनों को सही करें और रिकॉर्ड कार्यालय में आवेदन को पुनः भेजें ।

Tele : 25683476
Mil : 36833

Central Organisation ECHS
Adjutant General's Branch
Integrated Headquarters
Ministry of Defence (Army)
Thimayya Marg
Near Gopinath Circle
Delhi Cantt-110010

B/49769/AG/ECHS

18 Nov 2021

HQ Southern Command (A/ECHS)
HQ Southern Command (A/ECHS), HQ Eastern Command (A/ECHS)
HQ Western Command (A/ECHS), HQ Northern Command (A/ECHS)
HQ Central Command (A/ECHS), HQ South Western Command (A/ECHS)
All Regional Centres

REIMBURSEMENT MODULE SELF LOGIN AND UPLOAD OF INDIVIDUAL REIMBURSEMENT CLAIMS

1. Further to CO ECHS letter No B/49769/AG/ECHS dated 3 Aug 2021 on the subject.

2. Certain changes have been made in the software to clear the pending individual bills for self uploading by the ECHS beneficiary.

3. Provisions have been made to allow ECHS beneficiaries to upload upto 08 (eight) Pharmacy bills, 04(four) OPD bills and 4 (four) IPD bills per month.

4. The above provisions will be effective from 19 Nov 2021 onwards.

5. The contents of this letter may please be widely disseminated to all concerned.

6. This has the approval of MD ECHS.

Sd/-xx
(Anupam N Adhaulia)
Col
Dir (Med)
For MD ECHS

Copy to :-

MoD/DoESW
CGDA
UTI – UTSL (BOA)
SDCPL
- for information please.

Internal

All Sec - for information.
Stats and Automation Sec - for uploading on website and issue necessary instr to UTI-UTSL(BPA).

Tele : 1800115250

Government of India
Ministry of Defence
Kendriya Sainik Board
West Block-IV, Wing-VII
RK Puram, New Delhi-66

195/Welfare/Misc/KSB/Mrg & Edn 11 Jan 2022

The Director Department of Sainik Welfare/
Secretaries Rajya Sainik Board/UTs

CLARIFICATION ON POLICY FOR FINANCIAL ASSISTANCE FOR EDUCATION AND MARRIAGE, WELFARE SCHEMES FOR CHILDREN/WIDOW OF ESM

1. Reference KSB Sectt letter of even No dt 26 Sep 2019.

2. It is clarified that Marriage Grant can be claimed by eligible ESM for a maximum of two daughters, irrespective of seniority of age/birth. Therefore, the modalities/eligibility conditions under Marriage Grant in the KSB letter under reference at Para 1 above may please be deleted.

3. The eligibility conditions/modalities for Marriage Grant mentioned at Appendix 'D' to KSB Sectt letter No 2(2)/Policy/KSB/A dt 28 Nov 2014 will be the authority for applying for Marriage Grant by eligible ESM for a maximum of two daughters, irrespective of seniority of age/birth.

4. Applicants will be required to upload scanned image of original (coloured) Service Document/Discharge Book of ESM (Mandatory to upload all pages of Discharge Book in a sequential manner without missing any page and without any alterations along with the application).

Sd/-xx
(KS Uppal)
Col
JD(Welfare)
For SecyKSB

कविता

खड़े हैं वो सरहद पर
हम घर मे दीप जलाते हैं
वो रात भर पहरा लगाते हैं
हम चैन की नींद सो जाते हैं।

फौजी की वर्दी पहनकर
सीना तान के खड़े रहते हैं
दुश्मन को भी
जो मौत की नींद सुला देते हैं।

बर्फीली पहाड़ियों पर
हौसले की उड़ान भरते हैं
सबसे ऊँची चोटी पर
शौर्य का इतिहास रचते हैं।

वो भारतीय सैनिक ही हैं
जिनके जज्बे की अलग ही गाथा है
तभी तो दुश्मन का कलेजा भी
इन्हें देख थर थर थराता है।

भारत देश का गौरव यह
तिरंगा भी देख इन्हें मुस्कुराता है
तभी तो ऊंचे पहाड़ों पे
वो कितने शान से लहराता है।

सुविचार

1. गलत तरीकों से सफल होने से कई गुना बेहतर है, सही तरीके अपनाकर असफल हो जाना।

2. जिन्दगी का हर एक छोटा हिस्सा ही, हमारी जिदंगी की सफलता का बड़ा हिस्सा होता है।

3. कमजोर व्यक्ति तब रूक जाते हैं जब वो थक जाते हैं और आगे नहीं चल पाते, लेकिन एक विजेता तभी रूकता है जब वो विजय हो जाता है।

4. आपकी जिन्दगी बहुत ही अनमोल और सुन्दर है, इसे फालतू और बेकार बातों में नहीं गवाएं।

5. प्रेम एक ऐसी चीज है जो हारे हुए व्यक्ति को भी जिता देती है, लेकिन घृणा एक पूरी तरह से सफल हुए व्यक्ति को भी नीचे गिरा देती है।

6. जब आपको लोग पूछें कि आप क्या काम करते हैं, तो वो लोग वास्तव में आपको कितनी इज्जत देनी है, इसका अन्दाजा लगाते हैं।

7. किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी जिन्दगी में कितना खुश है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं।

8. आपकी जिन्दगी का हर एक दिन अच्छा हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन हमेशा से बेहतर हो ये जरूरी है।

9. कोई भी काम हमें करने से पहले मुश्किल ही लगता है।

10. सफल व्यक्ति अपने लिए हुए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं।

11. यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती।

जीवन प्रमाण पत्र

शूरवीर हितैषी के पिछले अंक में किए गए आग्रह पर केवल कुछेक सदस्यों द्वारा ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाया गया है । शेष सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वह 30 जुलाई 2022 से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग हमीरपुर, हि0प्र0–177001 में जमा करवायें (डाक द्वारा या स्वयं आकर) । अगर शूरवीर हितैषी पत्रिका के सदस्य 30 जुलाई 2022 से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र इस निदेशालय में जमा नहीं करवाते हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जायेगी और भविष्य में उन्हें शूरवीर हितैषी पत्रिका नहीं भेजी जायेगी ।

जीवन प्रमाण पत्र का प्रारुप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति________________________,

गाँव______________, डाकघर ________________, तहसील ______________.

जिला________________, हि०प्र० का स्थाई निवासी है और अभी तक जीवित है ।

दिनांक

ग्राम प्रधान की मोहर और हस्ताक्षर

निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश
स्थित हमीरपुर–177001

शूरवीर हितैषी पत्रिका लेने हेतू – अंशदान फार्म
(Subscription Form)

1. Army No ____________________
2. Rank ____________________
3. Name ____________________
4. Mobile Number ____________________
5. Permanent Home Address :
   (जहाँ पत्रिका लेना चाहते हैं) ____________________
   ____
   ____
6. Pin Code ____________________
7. Subscription Amount
   (For life Rs. 500/-) ____________________

8. Mode of Payment : Bank draft in favour of the Director Sainik Welfare (Shurvir Hiteshi Fund) HP at Hamirpur and to be forwarded to Directorate of Sainik Welfare, HP at Hamirpur (HP)-177001.

Place :

____
Signature of the Applicant)

Dated :

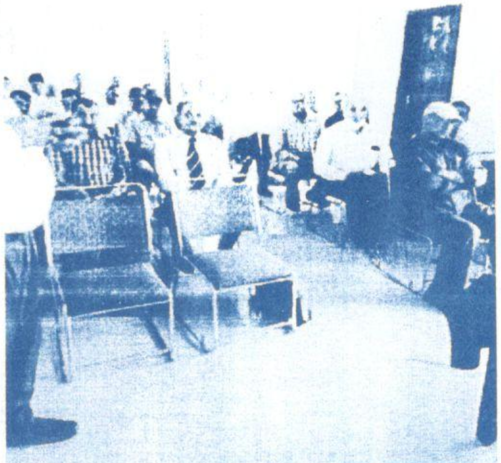
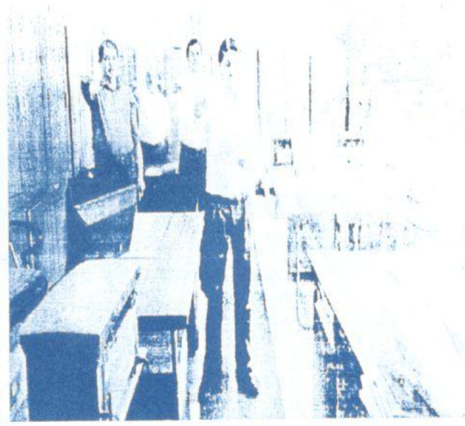
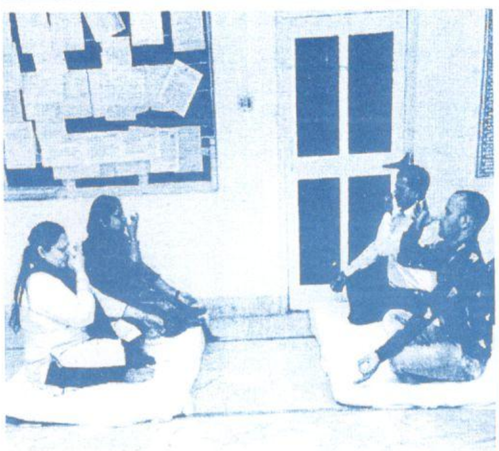

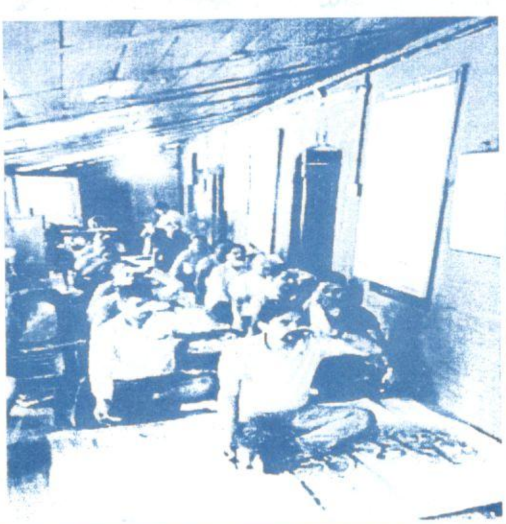

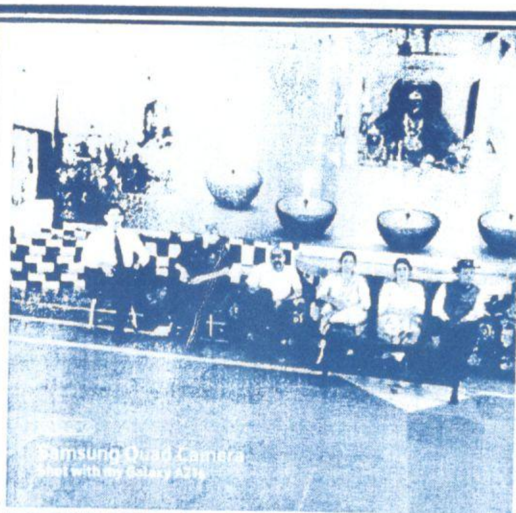

109 वीरता पुरस्कार विजेताओं को दिए 23 लाख रुपए : डी.सी.